तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

07.07.2023 मंत्रायलिक कर्मचारियो की सामूहिक अवकाश व हड़ताल समाप्त होने पर पत्रावली आज पेश हुई। वकील अपीलान्ट उपस्थित। वकील अपीलान्ट की प्रार्थना–पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम व मूल अपील की बहस सुनी गई। दौराने बहस वकील अपीलान्ट ने बताया कि भूमि खसरा नम्बर 1351, 1353 में अपीलान्ट काफी समय पूर्व से आवासीय मकान बनाकर रह रहा है। बिजली कनैक्शन ले रखा है। पटवारी हल्का द्वारा गलत रिपॉर्ट तैयार कर तहसीलदार कार्यालय नीमकाथाना में पेश की है एवं उसी रिपॉर्ट के अनुसार नोटिस जारी कर अपीलान्ट के विरूद्ध बेदखली का आदेश पारित कर दिया गया जो बिना जाँच किए किया गया है। उसे निरस्त किया जावे। पटवारी हल्का द्वारा जो रिपॉर्ट पेश कि गई है। जिसमें ना तो नजरी नक्शा बनाया ना ही कहीं यह दर्शाया कि अतिक्रमण कहा कर रखा है। ना ही कोई रिपॉर्ट में नाप–चोक व लम्बाई चौड़ाई की सीमा का अंकन किया है। अपील के साथ मियाद अधिनियम अन्तर्गत धारा 5 का प्रार्थना–पत्र व शपथ पत्र भी प्रस्तुत किया है। जो विलम्ब की क्षमा करते हुए प्रार्थना–पत्र स्वीकार कर अपील की अन्दर मियाद मानते हुए स्वीकार की जावे एवं तहसीलदार नीमकाथाना का आदेश दिनांक 07.09.2018 अपास्त किया जावें।

वकील अपीलान्ट कि बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली व पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया।

पत्रावली में प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम का न्यायहित में स्वीकार किया जाता है।

मूल अपील की बहस पर मनन करने एवं पत्रावली का अवलोकन करने पर पाया गया कि पटवारी हल्का भूदौली द्वारा जो धारा 91 भू–राजस्व अधिनियम के तहत रिपॉर्ट तहसील कार्यालय में पेश की गई है। जिसमें अपीलान्ट द्वारा भूमि खसरा नम्बर 1351 व 1353 किस्म चारागाह में रकबा 0.0225 है0 में आवासीय मकान बनाकर अतिक्रमण किया जाना बताया है। तहसील कार्यालय द्वारा नोटिस जारी होने पर अपीलान्ट द्वारा जवाब व दस्तावेज पेश किये है। जो पत्रावली में शामिल है। पत्रावली में पेश पटवारी रिपॉर्ट के

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2023.10.18 11:06:43 IST
Reason: SelfAttested

(अनिल कुमार)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
एवं अति. जिला मजिस्ट्रेट
नीमकाथाना (सीकर)

Scanned with OKEN Scanner

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नंबर व त... जो इ... तामील...
	अवलोकन से पाया गया कि प्रस्तुत रिपॉर्ट के पिछे जो नजरी नक्शा तैयार किया जाता है या बनाया जाता है को नहीं बनाया गया एवं ना ही रिपॉर्ट के पिछे चारो दिशाओं का माप अंकित किया है जबकि रिपॉर्ट के पिछे नक्शा तैयार कर उसमे अतिक्रमण रकबे को चिन्हित किया जाता है जो नहीं किया गया है।	

इससे यह प्रतीत होता है कि पटवारी हल्का द्वारा जो रिपॉर्ट पेश कि गई है जो मौके पर जाकर तैयार नही कि गई है। इससे यह भी प्रतीत होता है कि तहसीलदार नीमकाथाना द्वारा जो निर्णय पारित किया गया है उसमें भी इन बिन्दूओं की जाँच किये बिना ही निर्णय पारित किया गया है। जो न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत है। इस आधार पर प्रस्तुत अपील में अंकित तथ्यो कि पुष्टि होती है। इस प्रकार अपील अपीलान्ट साबित होने के कारण स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट साबित होने से स्वीकार कि जाती है तथा अधिनस्थ न्यायालय के मुकदमा नम्बर 27/2018 उनवानी सरकार बनाम रामजीलाल निर्णय दिनांक 07.09.2018 को अपास्त किया जाता है। अपील अपीलान्ट तहसीलदार नीमकाथाना को इस आदेश के साथ रिमाण्ड कि जाती है कि मौके पर जाकर अतिक्रमण रकबे की नाप–चोक की जावे एवं इसी के साथ नजरी नक्शा तैयार कर उसके चारो दिशाओं का माप–चोक अंकित कर एवं अपीलान्ट को सुनवाई का पर्याप्त अवसर दिया जावे एवं प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन कर गुणावगुण के आधार पर पुनः निर्णय पारित करें। पालना हेतु तहसीलदार नीमकाथाना को तहरीर जारी कि जावें। आदेश आज दिनांक 07.07.2023 को सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

(अनिल कुमार)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर
एवं अति. जिला मजिस्ट्रेट
नीमकाथाना (सीकर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2023.10.18 11:06:43 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner